

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०सं०-६/निदे०-SCA-T-TSP-01-01/2017-

147

प्रपक,

प्रेम सिंह मीणा,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार  
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक- 30.03.17.

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा जनजातीय उप योजना के तहत विशेष केंद्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के बहुमुखी विकास के लिए शत प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त योजनावार स्वीकृत राशि स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के तहत कंडक्ट स्कीनिंग फॉर सिकल सेल एनीमिया ट्राईबल स्टूडेंट्स एंड प्रोविजन ऑफ हेल्थ कार्ड्स के लिए संलग्न विवरणी के अनुसार ₹10.00 लाख (दस लाख) मात्र व्यय हेतु आवंटित राशि की अग्रिम निकासी की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या- 123 दिनांक 27.03.2017 एवं आवंटनादेश संख्या- 131 दिनांक 28.03.2017 द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित राशि की अग्रिम निकासी की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 3748 वि०(2) दिनांक 05.04.2010 के आलोक में प्रदान की जाती है।

3- वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में राशि की निकासी की जाएगी।

4- निकासी की जाने वाली स्वीकृत राशि बजट उपबंध के अधीन है।

5- इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।


6- सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी, इस राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो पूर्व से इस योजना के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

7- इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी, सभी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे।

8- उक्त राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार की सहमति प्राप्त है।

9- सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी व्यय से संबंधित डी०सी० विपत्र महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

  
(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक -6/निदे0-SCA-T-TSP-01-01/2017- 147

पटना, दिनांक-30.03.17

प्रतिलिपि :-सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव।

ज्ञापांक -6/निदे0-SCA-T-TSP-01-01/2017- 147

पटना, दिनांक-30.03.17

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/ सभी सम्बन्धित उपविकास आयुक्त/उप निदेशक(मु0)/ सभी सम्बन्धित प्रमंडलीय उपनिदेशक,कल्याण/सभी सम्बन्धित जिला कल्याण पदाधिकारी/अवर सचिव/सहायक निदेशक/लेखा शाखा/बजट शाखा/सांख्यिकी कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6(डी0) /8(डी0) अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव।